न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : नारायण सिंह चारण , आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 12/2016 (नि.पं.) दायर दिनांक :– 21.04.2016

सरकार जरिये विकास अधिकारी पंचायत समिति बडीसादडी, पंचायत समिति बडीसादडी, जिला–चित्तौड़गढ

–निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्री जगदीश पिता धन्ना जटिया, निवासी अम्बावली तहसील–बडीसादडी, जिला चित्तौड़गढ़
2. सरपंच ग्राम पंचायत किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी जिला–चित्तौड़गढ़

–गैर निगराकार/(अप्रार्थी)

कार्यवाही : निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा जारी पट्टा संख्या 003123 दिनांक 31.08.1990

उपस्थिति : 1. पंचायत प्रसार अधिकारी, प्रार्थी।
2. श्री गोरव परमार, वकील अप्रार्थी सं. 1

निर्णय दिनांक 31.01.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा दिनांक 31.08.1990 को तात्कालिन सरपंच द्वारा विपक्षी संख्या 01 को विपक्षी संख्या 02 द्वारा जारी किया गया तथा कथित यह पट्टा पूर्ण नियमों की अनदेखी करते हुए अवैध रूप से जारी किया गया। तात्कालिन सरपंच ने पदिय हैसियत का नाजायज दुरूपयोग करते हुए उक्त पट्टा चरागाह भूमि आराजी नम्बर 33 रकबा 9.28 हैक्टर मे जारी किया गया। ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा भूमि विक्रय कर दिया गया जिसका पट्टा क्रमांक 003123 है। विपक्षी को यह भूखण्ड विक्रय का अधिकार नही होने के बावजूद चरागाह भूमि में विपक्षी संख्या 01 को निःशुल्क आवासीय भू–खण्ड आंवटित कर दिया गया। विपक्षी संख्या 02 ने विपक्षी संख्या 01 को पट्टा संख्या 003123 की साईज 30X45 क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का भूखण्ड का निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का पट्टा जारी कर दिया गया। विपक्षी संख्या 02 द्वारा विपक्षी संख्या 01 को पंचायत क्षेत्र में एक

का भूखण्ड दिया जाना था परन्तु एक ही परिवार को एक के स्थान पर दो भूखण्ड विक्रय किये गये है जो नियम विपरीत होकर निरस्त योग्य है। उक्त तथ्यों के अनुसार ग्राम पंचायत किरतपुरा पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा इस भूखण्ड का विक्रय कर विलेख जारी करने में भारी अनियमितता की है। इसलिये प्रचलित नियमों के तहत् यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना है कि विपक्षी को ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा जारी भूखण्ड का विक्रय विलेख (पट्टा) निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण (अप्रार्थीगण) को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

विपक्षी सख्या 01 की और से दिनांक 10.01.2016 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 को उसके मकान का जारी किया गया पट्टा 26 वर्ष पुराना है और विपक्षी संख्या एक उक्त मकान पर पट्टा जारी होने से पहले ही निवास कर रहा है। विपक्षी संख्या 01 ने अपने उक्त मकान पर विजली पानी का कनेक्शन भी ले रखा है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 का पट्टा निरस्त करवाने के लिए निगरानी पेश की है जो पट्टा जारी होने के 26 वर्ष बाद पेश की है इसलिये प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर है। इसलिए प्रार्थी की निगरानी मियाद बाहर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानी की चरण संख्या 01 पूर्णतया मनगढ़न्त व गलत आधारों पर होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करावें। ग्राम पंचायत किरतपुरा द्वारा विपक्षी संख्या 01 को उसके मकान का पट्टा क्रमांक 0003123 दिनांक 31.08.1990 को जारी किया गया है। उक्त पट्टा विपक्षी संख्या 01 को विधिनुसार नियमों का पालन करते हुए जारी किया गया है। विपक्षी संख्या 01 अनुसूचित जाति का गरीब व्यक्ति है और उसके पास निवास करने के लिए उक्त मकान के अलावा कोई मकान नही हैं। इसलिये प्रार्थी की निगरानी सव्यय निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी ने विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध यह निगरानी विपक्षी संख्या 01 को परेशान करने की नियत से द्वेषतावश पेश की

है। विपक्षी संख्या 01 के मकान का पट्टा जिस भूमि पर जारी किया गया हे उसी भूमि पर अन्य कई लोगों के भी मकानात बने हैं और उनको भी पट्टा जारी किया हुआ है। विपक्षी संख्या एक का मकान जिस भूमि पर स्थित है उसके पास उसी भूमि पर कमलदास वैष्णव, कन्हैयादास वैष्णव किशन सिंह राजपूत, भैरूलाल रावत, किशोर दास वैष्णव, लालूराम गायरी, बाबूलाल रावत आदि के भी मकानात बने हुए हैं और उनको भी पट्टे जारी किये गया है लेकिन प्रार्थी ने उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही न कर विपक्षी संख्या एक के विरूद्ध द्वेषतावश उक्त निगरानी पेश की हैं विपक्षी संख्या दो ने विपक्षी संख्या एक को उसके मकान का पट्टा नियमानुसार एवं विधिनुसार जारी किया गया है, इसलिए प्रार्थी की निगरानी सव्यय निरस्त होने योग्य है।

प्रकरण पर बहस अप्रार्थी सुनी गई जिसमें वकील अप्रार्थी का कथन है कि जिस पट्टे को निरस्त करवाने के लिये जो निगरानी पेश की गई है लेकिन इसके कोई दस्तावेज पत्रावली पर पेश नही किये है, शपथ पत्र एवं कोर्ट फीस भी प्रस्तुत नही की गई है। यह पट्टा दिनांक 30.08.1990 को जारी किया हुआ है एवं 27 वर्ष पुराना है। 27 वर्ष बाद यह रिविजन पेश की है। हम इस पट्टे के जारी होने के पहले से ही यहां निवास कर रहे है। उक्त निगरानी मियाद बाहर है। दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नही किया गया है। यदि अपीलान्ट/निगरानीकार सरकार है तो उन्हें वैसे ही सीमा में नही मान लिया जायेगा जब तक की कोई कारण ना हो। निगरानीकार द्वारा दफा 5 का प्रार्थना पत्र भी पेश नही किया इसलिये मियाद बाहर होने से निगरानी खारिज योग्य है। निगरानीकार द्वारा कोई रेकार्ड भी पेश नही किया जिससे यह सावित नही हो सकता की यह भूमि चरागाह भूमि है। चरागाह भूमि तो वही होगी जो चरागाह के उपयोग में आ रही हो। यह भूभि तो भूखण्ड मकानात व आबादी की है। ऐसी स्थिति में पट्टे को सही माना जावे और निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया एवं वकील विपक्षी के बहस के तथ्यों पर ध्यान किया गया। प्रकरण पर ग्राम अम्बावली की आराजी संख्या 33 रकबा 9.28 हैक्टर किस्म चरागाह दर्ज रेकार्ड है। प्रश्नगत आराजी भूमि चरागाह दर्ज होने से ग्राम पंचायत किरतपुरा के क्षेत्राधिकार में नही आती है, ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि पर ही विधिवत पट्टा जारी करने हेतु सक्षम है। गैर आबादी भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जाना नियमों के प्रतिकुल है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत कीरतपुरा पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा विपक्षी संख्या 01 को नियमों के विपरीत जाकर पट्टा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत किरतपुरा, पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा जारी पट्टा संख्या 003123 दिनांक 31.08.1990 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ